

सिधरी

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. हराराम

हलका काडामाडी

पुत्र श्री श्रीवाराध जाति जाट

निवासी केराभापाना

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 38 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-10-2020	पटवारी हलका <u>काडामाडी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौजा <u>केराभापाना</u> के खसरा नंबर <u>424</u> रकबा <u>0.008</u> हे. किस्म भूमि <u>वाराध</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-11-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-11-2020	<p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p> पत्रावली आठ पेश हुई नोटिस भद्रम तमिल प्राप्त। पिढाली अधिकारी पंचायत समिति पापला कला हे पंचायतीराज चुनाव कार्य हे प्रलट है। पत्रावली दिनांक <u>27-11-2020</u> को पेश हो।	
27-11-2020	पत्रावली पेश हुई नोटिस भद्रम तमिल प्राप्त। पिढाली अधिकारी चुनाव कार्य हे प्रलट है। पत्रावली दिनांक <u>16-12-2020</u> को पेश हो।	

16-12-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। नोटिफिकेशन शामिल प्राप्त
रामिल कुमिडा पंचायत का चुनाव कार्य के उभरी होने
के कारण नोटिफिकेशन शामिल नहीं हो सके, पुनः नोटिफिकेशन
होकर पत्रावली क्रियांक 30-12-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

टी।।।।।

30-12-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सफल अनुपाठित।
पीगलीन अधिकारी अवकाश पर होने के
कारण पत्रावली क्रियांक 18-01-2021 को पेश है।

30-12-2020

18-01-21

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सफल अनुपाठित।
गैर सफल के भतिकी मानते हुए उनके विकल्प
एक बरफा कार्यवाही भाग के लार्ड जाकर
पत्रावली फेसल सुमार है। निर्णय अलग
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है।
निर्णय सुले अनामालप के सुनाया बाग
पत्रावली फेसल सुमार होकर मंकर से
कम होकर डारिकल डफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर